

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं० 02/2019

(OPERATING SAFETY ALERT NO. 02/2019)

विषय:- पूर्व तटीय रेल (ECOR) में दिनांक 25.06.2019 को OHE कार एवं गाड़ी संख्या 18005 (हावड़ा -जगदालपुर) एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर।

ज्ञात हुआ है कि दिनांक 25.06.2019 को पूर्व तटीय रेल (ECOR) के वाल्टेयर मंडल में OHE कार एवं गाड़ी संख्या 18005, समलेस्वरी एक्सप्रेस सिंगापुर रोड (SPRD) और क्यूटगुडा (KTGA) स्टेशनों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

एक OHE कार को सिंगापुर रोड (SPRD) से क्यूटगुडा (KTGA) स्टेशनों के बीच ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने हेतु "कार्य संपादन कर आगे बढ़ो (Work and proceed)" ब्लॉक देकर (क्यूटगुडा) तक जाने की अनुमति देकर चलाया गया था। उक्त दोनों स्टेशनों के बीच एक डाईवर्सन केबिन भी अवस्थित है। OHE कार, जिसे कार्य समाप्ति के बाद क्यूटगुडा (KTGA) जाना था, के लीडिंग कैब में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दिए गए ब्लॉक में परिवर्तन करते हुए इसे "कार्य संपादन कर वापसी (Work and return)" कर दिया गया एवं इसकी जानकारी डाईवर्सन केबिन को नहीं दी गई। कर्षण नियंत्रक (TPC Controll) ने प्राईवेट नंबर देकर ब्लॉक निरस्त कर दिया जबकि OHE कार अभी ब्लॉक सेक्शन में ही था। खण्ड नियंत्रक ने स्टेशन को सूचित कर दिया कि ब्लॉक निरस्त हो चुका है अतः 18005 एक्स. को लाईन किलीयर देकर चलाये। अनभिज्ञ डाईवर्सन केबिन ने गाड़ी का लाईन किलीयर दे दिया और गाड़ी ब्लॉक सेक्शन OHE कार के साथ टकरा गई।

चूक (Failure) :-

- (1) OHE कार को दिये गये ब्लॉक में किये गये परिवर्तन अर्थात् आगे न जाकर वापस लौटने की जानकारी डाईवर्सन केबिन को नहीं दिया जाना।
- (2) स्टेशन मास्टर द्वारा, बिना यह सुनिश्चित किए कि OHE कार पूर्ण रूप से स्टेशन पर पहुँच चुकी है, लाईन किलीयर दिया जाना।
- (3) क्यूटगुडा (KTGA) स्टेशन में दिन की ड्यूटी पाली (Shift) बदल जाने पर कार्य पर तैनात होने वाले नये स्टेशन मास्टर ने बिना यह सुनिश्चित किए कि OHE कार वापस लौट चुकी है और ब्लॉक सेक्शन बाधा मुक्त है, गाड़ी सं० 18005 एक्स० के लिए लाईन किलीयर मांग किया जो कि सामान्य नियम 8.01 (ग) का उलंघन है।
- (4) ब्लॉक यंत्र से छेड़-छाड़ (Manipulation of block instrument): स्टेशन मास्टर क्यूटगुडा (KTGA) ने लाईन किलीयर लेकर जब गाड़ी खुलाना चाहा तो प्रस्थान सिगनल 'आफ' नहीं हुआ तदुपरांत ब्लॉक यंत्र से स्टेशन मास्टर ने खोलाकर छेड़-छाड़ किया और गाड़ी को सिगनल देकर खुला दिया।

चूंकि सेक्शन में BPAC (ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर) कार्यरत नहीं था जिसके कारण ब्लॉक सेक्शन के साफ रहने या बाधित रहने की पुष्टि तकनीकी तौर पर नहीं की जा सकती थी अतः इसे सुनिश्चित करने में मानवीय चूक हुई। यदि BPAC के माध्यम से यह संकेत प्राप्त हो जाता तो ऐसी दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। अतः ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (BPAC) का लगाया जाना एवं इसे कार्यरत रखा जाना अतिआवश्यक है।

सावधानियों (Precautions) :

1. कार्य भार ग्रहण करने के बाद स्टेशन मास्टर सभी दस्तावेजों जैसे स्टेशन डायरी, गाड़ी सिग्नल रजिस्टर, लाईन ब्लॉक एवं क्लियर रजिस्टर, पावर ब्लॉक रजिस्टर इत्यादि में की गई प्रविष्टियों को पढ़ें एवं आवश्यक प्रविष्टियों को लाल स्याही से करें।
2. लाईनों की स्थिति के संबंध में केवल लिखे हुए पर भरोसा न करें बल्कि स्वयं स्थिति को देखकर संतुष्ट हो लें।
3. ब्लॉक दिये जाने पर संबंधित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए स्टॉप प्लग/बटन कॉलर/स्लाईड कॉलर/लीवर कॉलर का प्रयोग करें एवं लाल पर सफेद अक्षर से लिखा गया " लाईन बाधित (LINE OBSTRUCTED)" बोर्ड ब्लॉक उपकरण पर लटकायें।

पूर्व मध्य रेल में उक्त दुर्घटना के आलोक में BPAC लगाने की संभावनाओं को देखा जाना चाहिए एवं जहां BPAC लगाये गये हैं इनके पूर्ण रूप से कार्यरत रखे जाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



(सलिल कुमार झा)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर

सं० इ.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505 दिनांक 26.06.2019

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर:- कृपया महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
- (2) निजी-सचिव/अपर महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर:- कृपया अपर महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
- (3) प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, पूमरे/हाजीपुर :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- (4) मुख्य संरक्षा आयुक्त, पूमरे, हाजीपुर:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- (5) मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- (6) वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- (7) वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।